# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 154 / 2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020 / 00151

काशीराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल निवासी 14 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री बजरंग छीपा – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 27.09.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.06.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट को चक 14 एन.पी. के मुरब्बा नंबर 12 में 1.721 हैक्टेयर नहरी भूमि अपने पिता से सरप्लस आई हुई हैं, जिसको नियमन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा उप जिला कलक्टर एवं आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर में प्रकरण संख्या 12/2012 अनवान काशीराम बनाम सरकार नियमन हेतु जैरकार है। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति हैं एवं उक्त भूमि में कोई विवाद अथवा स्थगन आदेश नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 की कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 16.03.2020 से अपीलांट को बेदखल कर अपीलांट पर तावान राशि अधिरोपित कर दी है, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा उक्त अपील को दिनांक 29.06.2020 को खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बजरंग छींपा ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 29.06.2020 व न्यायालय उप तहसीलदार मुकलावा का आदेश दिनांक 16.03.2020 विधि विपरीत एवं खारिज योग्य हैं चूंकि अपीलांट राजस्थान राज्य का मूल निवासी है तथा अपीलांट का पेशा कृषि है। अपीलांट राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956 के तहत उक्त भूमि को नियम करवाने का पात्र है तथा इससे संबंधित पत्रावली उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर में जैरकार है। बावजूद इसके उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस और सुनवाई के धारा 22 की कार्यवाही कर उक्त भूमि को गैर कानूनी रूप से निलाम कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। जो गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि चक 14 एन.पी. के मुरब्बा नंबर 12 किला नंबर 14 ता 20 हैक्टेयर रकबा अराजीराज दर्ज रिकार्ड है जिसकी धारा 22 की रिपोर्ट कर फसल नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर राशि सरकार के खाते में जमा की जा चुकी है। अतिक्रमी को बेदखल किया जा चुका हैं। अतिक्रमी लक्ष्मणराम पुत्र लूणाराम को उक्त विवादित भूमि सम्वत् 2037 में टी.सी. पर थी जो तहसीलदार रायसिंहनगर के अपने आदेश दिनांक 01.01.1981 द्वारा निरस्त कर दिया था। अतः उप तहसीलदार मुकलावा का आदेश दिनांक 16.03.2020 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 29.06.2020 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि चक 14 एन.पी. के मुरब्बा नंबर 12 में किला नंबर 14 ता 20 हैक्टेयर रकबा अरराजीराज दर्ज है, जिसकी धारा 22 में फसल नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर राशि सरकारी खाते में जमा हो चुकी हैं एवं अतिक्रमी को बेदखल किया जा चुका है। प्रार्थी काशीराम आराजीराज भूमि अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अतिक्रमी माना जा सकता हैं। यह भूमि आदिनांक राजस्व रिकार्ड में आराजीराज है। अपीलार्थी का उक्त भूमि के संदर्भ में नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर में साक्ष्य के अभाव में लंबित है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित आदेश दिनांक 29.06.2020 विधिसम्मत होने के कारण किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6— निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर